

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 29/2023

उगवान

1. नानुनाथ पिता दलनाथ जोगी जाति जोगी निवासी परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी।

बनाम

1. उंकारलाल पिता कालिया डबगर जाति डबगर निवासी परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 22.4.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 343 नया, 337 पुराना के खसरा संख्या 608 रकबा 0.03 हे., खसरा संख्या 613 रकबा 0.08 हे. एवं खसरा संख्या 614 रकबा 0.07 हे. कुल कित्ता 03 रकबा 0.18 हे. भूमि वाके ग्राम भगोरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। उपरोक्त सर्वे नम्बरान की भूमि में कृषि कार्य करने हेतु पूर्व में सीमा पर स्थित प्रतिवादी की कृषि भूमि में से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 608, 613, 614 में जाकर कृषि कार्य करते थे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा आये दिन प्रतिवादी की भूमि में से गुजरने पर विवाद किया जाने लगा है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उसकी भूमि खसरा संख्या 612 जिसका बटा नम्बर 7620/612 पर दुकानों का निर्माण कर दिया गया तथा आस पडोस के काश्तकार भी प्रार्थी को उनकी कृषि भूमि में से होकर आने जाने एवं बैलगाडी, ट्रैक्टर व अन्य सिंचाई के साधनों को लाने ले जाने में विवाद करते हैं। जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री मोहित त्रिवेदी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि में से होकर कृषि कार्य के लिए भी आना-जाना नहीं करते थे ना ही कर रहे हैं। चूंकि अप्रार्थी की भूमि कृषि भूमि

  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाडा

नहीं होकर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 7620/612 रकबा 0.08 हे. भूमि आबादी रूपान्तरित होकर किरम आबादी है तथा अप्रार्थी की भूमि पर निर्माण किया गया है। अप्रार्थी का प्रार्थी के साथ कभी भी कोई लड़ाई-झगडा नहीं हुआ है। चूमि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट पेश हुई। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राम भगोरा के खसरा संख्या 7628/612 रकबा 0.08 हे. किरम-आवासीय आबादी उंकारलाल पिता कालिया जाति डबगर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से नानुनाथ पिता दलनाथ जोगी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 608, 613, 614 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वादी की कृषि भूमि में आने-जाने के लिए अन्य रास्ता मौके पर नहीं है। खसरा संख्या 7620/612 से लगी हुई गोपीनाथ का गडा डामर सडक स्थित है। खसरा संख्या 613, खसरा संख्या 7620/612 से सटा हुआ है। जिसमें से प्रार्थी को 15 फीट का रास्ता दिया जाने हेतु कुल एरिया  $15 \times 15 = 225$  वर्गफीट आबादी भूमि का तहसील राजस्व लेखाकार, गढ़ी की रिपोर्ट अनुसार बाजार मुल्य 195300/-रूपया का भूगतान उंकारलाल पिता कालिया जाति डबगर निवासी परतापुर को किया जाकर रास्ता देने की कार्यवाही किया जाना उचित बताते हुए जांच रिपोर्ट मय जमाबंदी, नक्षा ट्रेस, मौका पर्चा एवं तहसील राजस्व लेखाकार, गढ़ी की रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज तथा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब व भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 7628/612 रकबा 0.08 हे. में रास्ता चाहा गया है। वह वर्तमान में आवासीय आबादी दर्ज रिकार्ड है। तथा आबादी भूमि में रास्ता दिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

  
(श्रवण सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी,  
गढ़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा